1·6

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा गंगोलीहाट में पाताल भुवनेश्वर दौला नानीशीतला सिमायल भूल की अध्याली चामाचौड़ एवं चौरबुना तक मोटरमार्ग लम्बाई-9.300 किमी

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम मकार गाँव
तहसील बेरीनाग, जिला पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत पाताल भुवनेश्वर दौला नानीशीतला सिमायल भूल की अध्याली चामाचौड़ एवं चौरबुना तक परियोजना के निर्माण हेतु (0.36 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.405 हे0 सिविल सोयम भूमि .72 हे0, वन पंचायत भूमि — × — हे0) अर्थात कुल 1.485 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मकार गाँव द्वारा दिनांक 21-6-21 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मकार गाँव के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो० नि० वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/– 21-6-2021	ह0/–
ग्राम सचिव	दिवाकर सिंह रावत
ग्राम ... अधिकारी, क्षेत्र... भुवनेश्वर	सदस्य जिला पंचायत ग्राम प्रधान
वि0ख0 बेरीनाग (पिथौरागढ़)	... (बेरीनाग) पिथौरागढ़
	दि० 21/6/2021

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 21-6-21 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत सकार गाँव

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	केदार सिंह [illegible]	केदार सिंह [illegible]
2-	नन्दन सिंह महरा	maharo
3-	अमर सिंह महरा	अमर सिंह महरा
4	रतन सिंह महरा	रतन सिंह महरा
5	हयात सिंह महरा	हयात सिंह महरा
6	गंगा महरा	गंगा महरा
7	रजनी देवी	रजनी देवी
8	[illegible]	[illegible]

ह0/– रजनी देवी
ग्राम प्रधान
दि० 21/6/2021

प्रधान
ग्राम पंचायत- [illegible]
विकास- बेरीनाग, पिथौरागढ़ (उ०ख०)

दिवाकर सिंह रावल
सदस्य जिला पंचायत
पीपली (बेरीनाग) पिथौरागढ़
दि० 21/6/2021

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा गंगोली हाट में पाताल भुवनेश्वर दौला नानीशीतला सिमायल मूल की अध्याली चामाचौड़ एवं चौरबुना तक मोटर मार्ग लम्बाई- 9.30 कि.मी.

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम नानीशीतला
तहसील बेरीनाग, जिला पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत पाताल भुवनेश्वर दौला नानीशीतला सिमायल मूल की अध्याली चामाचौड़ एवं चौरबुना परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.900 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.9 हे0, वन पंचायत भूमि —×— हे0) अर्थात कुल 1.8 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत नानीशीतला द्वारा दिनांक 21-6-21 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम नानीशीतला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो० नि० वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

[signature] 21/6/21 ह0/- ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम सचिव क्षेत्र.........भुवनेश्वर....... वि0ख0 बेरीनाग (पिथौरागढ़)	[signature] दिवाकर सिंह रावल सदस्य जिला पंचायत पीपली (बेरीनाग) पिथौरागढ़ दि० 21/6/2021	राधा रावल ह0/- प्रधान ग्राम पंचायत भुवनेश्वर वि०ख० बेरीनाग ग्राम प्रधान दि० 21/6/2021

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र--23.1

दिनांक 21-6-21 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत भानीशीतला

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	उमेद सिंह रावत	[illegible]
	भवान सिंह दर्शनी	[illegible]
	नन्दा सिंह	नन्दा सिंह
	अर्जुन सिंह भण्डारी	[illegible]
	लाल सिंह भण्डारी	लाल सिंह भण्डारी
	मुकेश सिंह भण्डारी	[illegible]
	केदार सिंह	[illegible]
	भगवान सिंह	[illegible]
	लक्ष्मण सिंह	लक्ष्मण सिंह
	नन्दन सिंह	[illegible]
	महेश सिंह	[illegible]
	दान सिंह	दान सिंह
	किशन सिंह	किशन सिंह
	करम सिंह	करम सिंह
	हरीश	[illegible]
	कृपाल सिंह	[illegible]
	बालम सिंह भण्डारी	[illegible]

[illegible signature]
दिवाकर सिंह रावल
सदस्य जिला पंचायत
पीपली (बेरीनाग) पिथौरागढ़
दि० 21/6/21

राधा रावल 21/6/21
ह०/-
प्रधान
ग्राम पंचायत भुवनेश्वर
वि०ख० बेरीनाग (पिथौरागढ़)
ग्राम प्रधान

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा गंगोलीहाट में पाताल भुवनेश्वर दौला नानीशीतला सिमायल भूल की अध्याली चामाचौड़ एवं चौरखुना तक मोटर मार्ग लम्बाई–9.300 किमी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम सिमायल
तहसील बेरीनाग, जिला पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत पाताल भुवनेश्वर दौला नानीशीतला सिमायल भूल की अध्याली चामाचौड़ एवं चौरखुना तक परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.18 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.0 हे0, वन पंचायत भूमि × हे0) अर्थात कुल 0.18 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सिमायल द्वारा दिनांक 21-6-21 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सिमायल के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो० नि० वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/– 21-6-21
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र सिमायल
वि0ख0 बेरीनाग (पिथौरागढ़)

आशा देवी 21-6-21
(सरपंच)
वन पंचायत सिमायल
पाताल भुवनेश्वर
वि0ख0 बेरीनाग
पिथौरागढ़

प्रधान 21-6-21
ग्राम पंचायत सिमायल
वि0ख0– बेरीनाग
ह0
ग्राम प्रधान

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

दिवाकर सिंह रावल
सदस्य जिला पंचायत
पीपली (बेरीनाग) पिथौरागढ़
21-6-2021

प्रपत्र–23.1

दिनांक 21-6-21 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत सिमायल

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	नवीन सिंह	नवीन सिंह
2	HEERA SINGH	HEERA SINGH
3	उमेद सिंह	उमेद सिंह
4	राजन सिंह	राजन सिंह
5	बहादुर सिंह	बहादुर सिंह
6	Mathew Singh	Mathew Singh
7	दीवान सिंह	दीवान सिंह
8.	महेश सिंह	महेश सिंह
9	श्याम सिंह	श्याम सिंह
10	हरक सिंह	हरक सिंह
11	जगत सिंह	जगत सिंह
12	~~[illegible]~~ प्रानसिंह बिष्ट (पूर्व प्रधान)	~~[illegible]~~
13	दीपलाल	दीपलाल
.	केदारसिंह पू० प्रधान	केदारसिंह
(14)	[illegible]	
(15)	[illegible] सिंह	
(16)	[illegible] सिंह [illegible]	
	बहादुरसिंह	

आशा देवी 21-6-21
सरपंच
वन पंचायत सिमायल
पट्टी– भुवनेश्वर
ग्राम/वि०ख०– बेरीनाग
जनपद– पिथौरागढ़

ह०/–
ग्राम प्रधान
प्रधान
ग्राम पंचायत – सिमायल
वि०ख०– बेरीनाग
दि० 21/6/2021

दिवाकर सिंह रावल
सदस्य जिला पंचायत
पीपली (बेरीनाग) पिथौरागढ़
दि० 21/6/2021

सरिता देवी
[illegible]
पौधा [illegible]
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा गंगोलीहाट में पाताल भुवनेश्वर दौला नानीशीतला सिमायल भूल की अध्याली धामाचौड़ एवं चौरखुना तक मोटर मार्ग लम्बाई - 9.300 किमी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम सेला
तहसील बेरीनाग जिला पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत पाताल भुवनेश्वर दौला नानीशीतला सिमायल भूल की अध्याली धामाचौड़ एवं चौरखुना परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.36 हे0, वन पंचायत भूमि — X — हे0) अर्थात कुल 0.36 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सेला द्वारा दिनांक 21-6-21 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सेला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो० नि० वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/– 21-6-21
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र भूल की अध्याली
वि0ख0 बेरीनाग (पिथौरागढ़)

दिवाकर सिंह रावल
सदस्य जिला पंचायत
... (बेरीनाग) पिथौरागढ़
21-6-21

ह0/– 21-6-21
ग्राम प्रधान
प्रधान
ग्राम पंचायत
वि0ख0 बेरीनाग

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

दिनांक 21-6-21 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत सेला

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	लक्ष्मण सिंह रावल	[signature]
(2)	[illegible] सिंह	[signature]
(3)	[illegible] रावल	[signature]
(4)	राजन सिंह	[signature]
(5)	पूरन सिंह	[signature]
(6)	पवन सिंह	[signature]
(7)	भीम सिंह	[signature]
(8)	लक्ष्मण सिंह	[signature]
(9)		
(10)		
(11)		
(12)		
(13)		

ह0/—
ग्राम प्रधान

RD
प्रधान
ग्राम पंचायत सिमापल
वि0ख0— बेरीनाग
दि० 21-6-21

दिवाकर सिंह रावल
सदस्य जिला पंचायत
पीपली (बेरीनाग) पिथौरागढ
दि. 21-6-21

सारिता देवी
श्रीमती सारता डसीला
क्षेत्र पंचायत सदस्य
पौषा सुकल्याडी
क्षेत्र—बेरीनाग (पिथौरागढ)

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा गंगोलीहाट में पाताल भुवनेश्वर दौला नानीशीतला सिमायल मूल की अध्याली –चामाचौड़ एवं चौरखुना तक मोटर मार्ग लम्बाई-1.300 किमी॰

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम चामाचौड़
तहसील बेरीनाग, जिला पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत पाताल भुवनेश्वर दौला नानीशीतला सिमायल मूल की अध्याली –चामाचौड़ एवं चौरखुना तक परियोजना के निर्माण हेतु (1.08 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.0 हे0, वन पंचायत भूमि × हे0) अर्थात कुल 1.08 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चामाचौड़ द्वारा दिनांक 21-6-21 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चामाचौड़ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो॰ नि॰ वि॰ प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/– 21-6-21
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र चामा
वि0ख0 बेरीनाग (पिथौरागढ़)

दिवाकर सिंह रावत
दि. 21-6-21

प्रधान 21-6-21
ह0/– सिमायल
ग्राम पंचायत
वि0ख0 ग्राम प्रधान

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 21-6-21 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत चामाचौड़

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	गंगा सिंह	[illegible] सिंह
	नारायण सिंह	नारायण सिंह
	जीत सिंह	[illegible]
	जसवन्त सिंह	[illegible]
	कुंवर सिंह	[illegible]
	चन्द्र सिंह	चन्द्र सिंह
	बहादुर सिंह	[illegible]
	पान सिंह	प्रताप सिंह
	सूरज सिंह	[illegible]
	फकीर सिंह	फकीर [illegible]

ह0/–
ग्राम प्रधान

Kamla
प्रधान 21-6-21
ग्राम पंचायत चिमापल
वि0ख0– बेरीनाग

[illegible]
दिवाकर सिंह रावल
सदस्य जिला पंचायत
पीपली (बेरीनाग) पिथौरागढ़
दि0 21-6-2021

सरिता देवी
श्रीमती सरिता डसीला
क्षेत्र पंचायत सदस्य
पौषा सुकल्याड़ी
क्षेत्र–बेरीनाग (पिथौरागढ़)

1.6

प्रपत्र– 23.2

परियोजना विवरण : पाताल भुवनेश्वर दौला नानीश्रीतला सिमायल मूल की अध्याली चामाचौड़ एवं चौरखुना मो०मार्ग लम्बाई 9.300 किमी

कार्यालय उप जिलाधिकारी ....

अनुसूचित जनजाति और परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति– बेरीनाग

उप खण्ड बेरीनाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत पाताल भुवनेश्वर दौला नानीश्रीतला सिमायल मूल की अध्याली चामाचौड़ एवं चौरखुना मोटर मार्ग का निर्माण में 1.44 हे0 आ0 वनभूमि 1.485 हे0 सिविल एवं सोयम भूमि 1.98 हे0 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल 4.905 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग, बेरीनाग प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील–बेरीनाग) की दिनांक 28/8/2021 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री अभय प्रताप सिंह उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:–

1–श्री अभय प्रताप सिंह उप जिलाधिकारी बेरीनाग अध्यक्ष।

2–कु0 चन्द्रा वन क्षेत्राधिकारी **बेरीनाग** सदस्य।

3–श्री **महेन्द्र सिंह** सहायक समाज कल्याण अधिकारी **बेरीनाग**, सदस्य/सचिव ।

4–श्री सुरेन्द्र सिंह बी0डी0सी0 क्षेत्र थल सदस्य।

5–श्री चारु चन्द्र पंत बी0डी0सी0 क्षेत्र वर्षायत सदस्य।

6–श्रीमती बिमला देबी बी0डी0सी0 क्षेत्र पुरानाथल सदस्य।

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि पाताल भुवनेश्वर दौला नानीश्रीतला सिमायल मोटर मार्ग परियोजना हेतु 4.905 हे0 वनभूमि लोक निमार्ण विभाग प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है।

उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यार्वतन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी बेरीनाग द्वारा अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया।

इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड गंगोलीहाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत पाताल भुवनेश्वर दौला नानीश्री तल्ला पायल भूल की अहपाली-चामाचौड़-चौकुना मोटर मार्ग के निमार्ण हेतु 4.905है० वनभूमि लोक निर्माण विभाग, बेरीनाग प्रयोक्ता एजेंसी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

अभय प्रताप सिंह
28/8/2021
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– बेरीनाग
जनपद– पिथौरागढ़

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– बेरीनाग
जनपद– पिथौरागढ़

कु० चन्द्रा भट्टरा
वन [illegible]
बेरीनाग
दि० 28/8/21

महेन्द्र सिंह
28/8/21
सहायक [illegible]
वि० ख० बेरीनाग (पिथौरागढ़)

बिमला देवी
सदस्य 28/8/21
क्षेत्र पंचायत पुरानाथल
वि०ख० बेरीनाग (पिथौरागढ़)

28/8/21
सुरेन्द्र सिंह पाँगती
जेष्ठ प्रमुख
विकास खण्ड बेरीनाग
(पिथौरागढ़)

28/8/21
सदस्य क्षेत्र पंचायत
बर्षायत
वि०ख० बेरीनाग (पिथौरागढ़)

1.6

प्रारुप–30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

DISTRICT Pithoragarh (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Pighoragarh district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss ..Dr. Asish chohan I.A.S deputy commissioner,. Pithoragarh on dated 25-9-2021 at time 5:00P.M. at **Pithoragarh** in which application claiming rights in 4.905... area measuring 4.905 hect for the construction of patal bhuvneshwar daula nani shitla simayal bhul ki adhyali chamachor&chokhuna Moter Road forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of berinag sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Pithoragarh
Dated: 25/9/2021
cum-Chairman

Deputy Commissioner-
जिलाधिकारी
District Level Committee
Dr. Asish chohan
Dt: 25-9-2021

प्रारुप—30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Pithoragarh

No---

Dated--25/9/2021

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 4.905 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of P.W.D. Berinag (name of user agency) for **patal bhuvneshwar daula nani shitla simayal bhul ki adhyali chamachor&chokhuna** motor road (purpose for diversion of forest land) in Pithoragarh district falls within jurisdiction of **nani shitla, simayal, maker gaw,sela, chamachor** village (s) in **Berinag** tehsils.
It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **4.905** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure …to …annexure….

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature
जिलाधिकारी Dr. Asish chohan
(Full name and official seal of the District Collector) Dt. 25-9-2021

1.6

प्रपत्र– 23

परियोजना विवरण : जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा गंगोलीहाट में पाताल भुवनेश्वर दौला नानीशीतला सिमायल भूल की अध्याली चामाचौड़ एवं चौखुना तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 9.300किमी0 में पडनेवाली 4.905 हे0 वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

अनुसूचित जनजाति और परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण पत्र

जिलास्तरीय समिति–पिथौरागढ़

उप खण्ड **गंगोलीहाट** में पाताल भुवनेश्वर दौला नानीशीतला सिमायल भूल की अध्याली चामाचौड़ एवं चौखुना तक मोटर मार्ग निमार्ण में **1.440** हे0 आ0 वनभूमि **1.485** हे0 सिविल एवं सोयम भूमि **1.980** हे0 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल **4.905** हे0 वनभूमि का **लोक निर्माण विभाग, बेरीनाग** प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील **बेरीनाग**) की दिनांक ..25-9-2021.... को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री **डा॰ आशीष चौहान** जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिलास्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैः–

1–श्री **डा॰ आशीष चौहान** जिलाधिकारी **पिथौरागढ** अध्यक्ष।

2–श्री विनय कुमार भार्गव प्रभागीय वनाधिकारी **पिथौरागढ** सदस्य।

3–श्री विद्यासागर कापड़ी जिला समाज कल्याण अधिकारी **पिथौरागढ** सदस्य/सचिव ।

4–श्रीमती गंगोत्री दत्ताल जिला पंचायत सदस्य। श्रीमती गंगोत्री दत्ताल

5–श्रीमती पुष्पा देवी जिला पंचायत सदस्य। श्रीमती पुष्पा देवी Pushpa

6–श्री सुरेश सिंह जिला पंचायत सदस्य। सुरेश सिंह

सचिव द्वारा माननीय सदस्यो का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की अध्यक्षता प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि पाताल भुवनेश्वर दौला नानीशीतला सिमायल भूल की अध्याली चामाचौड़ एवं चौखुना तक मोटर मार्ग परियोजना हेतु **4.905** हे0 वनभूमि **लोक निमार्ण विभाग** प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यार्वतन की अनु''ंसा की गयी है।

सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी **पिथौरागढ** द्वारा अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत एवं उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

सदस्य जिला पंचायत / क्षेत्र पंचायत सदस्य	प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य विनय कुमार 25-9-2021	विद्यासागर कापड़ी 25-9-21 जिला समाज कल्याण अधिकारी सदस्य/सचिव	डा॰ आशीष चौहान जिलाधिकारी 25-9-2021 अध्यक्ष

सरिता देवी 25-9-21 पुष्पा देवी जिला पंचायत सदस्य 09-नादनी, पिथौरागढ़ उत्तराखण्ड